

उसमें कैलाश

उप. पत्र सं. 71/25

16.4.26

वकील डा. श्री क

निवेदन पर पंजाब

आज चैरा हुई। व.प.प.प.

उप.। वकील डा. श्री क

उप. पत्र प्रस्तुत कर

प्रकरण को आगे लंबित

नहीं रखने तथा जस्टिस

विश्राम निश्चित

करने का निवेदन किया

अतः प्रकरण जस्टिस विश्राम-

स्वस्थ किया जाता है

पंजाब की कैलाश शुभार

हो नंबर से कुछ दस्तावेज

दाखिल दफ्तर है

अध्याक्षक, पंजाब